निवेशकों की सुविधा के लिए लागू होगा पीएमआइएस

राब्यू, जागरण● लखनऊ : प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रापर्टी मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (पीएमआइएस) को लागू कर उसके जरिये निवेशकों से संवाद बढ़ाने की दिशा में सरकार के स्तर से पहल की गई है। इस कड़ी में (नोएडा) प्राधिकरण द्वारा पीएमआइएस को लागू किया जाएगा और उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में कार्यरत निवेश मित्र पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लैंड बैंक समेत विभिन्न जानकारियां निवेशकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकें।

पीएमआइएस को निवेश मित्र पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक व ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए आवेदन व संचालन गतिविधियों की सीधी निगरानी हो सकेगी। वहीं, भवन मानचित्र स्वीकृति, एक्सटेंशन लेटर तथा आक्यपेंसी सर्टिफिकेट समेत

- निवेश मित्र से जुड़ेंगी प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों की वेबसाइट
- निवेशकों तक आसानी से पहुंचेगी लैंड बैंक समेत अन्य जानकारियां

विभिन्न दस्तावेजों के जारी होने और उन्हें ट्रैक करने का तंत्र भी तैयार हो जाएगा। इससे नोएडा प्राधिकरण में चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं की हर जानकारी निवेशकों को समय से पता चल सकेगी।

पीएमआइएस के जरिये निवेशकों के हर दस्तावेज की स्वीकृति व जिज्ञासा की जानकारी उनके रजिस्टर्ड एसएमएस, ई-मेल व वाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीसीडा द्वारा भी इसी तर्ज पर बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है।

96 हजार संपत्तियों का लेखा-जोखा होगा उपलब्ध

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद नोएडा की लगभग 96 हजार संपत्तियों का विस्तृत लेखा-जोखा नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित कराए जा रहे वेब बेस्ड एप्लीकेशन पैकेज पर उपलब्ध होगा। इसकी देखरेख को सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित सिस्टम का भी विकास किया जाएगा। इससे नई प्रापर्टी के पंजीयन व डाटा प्रोसेसिंग, अलाटमेंट लेटर समेत प्रापर्टी से जुड़े विवरण का संकलन, सरकारी प्रपत्रों को जारी करने की अद्यतन स्थिति, आनलाइन पेमेंट के लिए बैंक गेटवे के साथ एकीकृत व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।